भाग III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 नवम्बर, 2005

संख्या का०आ० 87/ह०अ०6/2003/धा० 57/2005.— हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6), की धारा 57 की उप-धारा (1) तथा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम के अधीन अधिकरण के कृत्यों का पालन करने तथा शक्तियों को प्रयोग करने के प्रयोजनों के लिए तुरन्त प्रभाव से श्रीमति अमरजीत सचदेवा, अपर आबकारी तथा कराधान आयुक्त (सेवानिवृत) को हरियाणा कर अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ०78/ह०अ०6/2003/धा०57/2003, दिनांक 15 मई, 2003, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ०78/ह०अ०6/2003/धा०57/2003, दिनांक 15 मई, 2003, में क्रम संख्या 1 में मद (3) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(3) श्रीमति अमरजीत सचदेवा, अपर आबकारी तथा कराधान आयुक्त (सेवानिवृत)	: सदस्य ।" ।

2. सदस्य का मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा।

3. अधिकरण का सदस्य, उक्त अधिनियम की धारा 57 की उप-धारा (8) में दिए गए उपबन्धों के अनुसार पद धारण करेगा ।

एल० एस० एम० सालिन्स,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।